

पदोन्नति में आरक्षण पर फैसला

चर्चा में क्यों?

पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 12 साल पहले पदोन्नति में आरक्षण पर दिये फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि इस पर फरि से वचिर करने तथर ऑकड़ें जुटरने की रवश्यकतर नहीं है। उच्चतम नुतररलर ने कहा कि 2006 में नरगरररर मरमले में दररि गए उस फैसले को सरत सदसुतुं वरली पीठ को संदरभति करने की जरूरत नहीं है, जसिमें अनुसूचित जरतथिं (SC) एवं अनुसूचित जनजरतथिं (ST) को नौकरथिं में पदोन्नति में आरक्षण देने के लररि शरुतें तरर की गई थीं।

पृष्ठभूमि

- 16 नवंबर, 1992 को इंदररि सरहनी मरमले में ओबीसी आरक्षण पर फैसलर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को प्रमोशन में दररि जर रहे आरक्षण पर सवल उठरए थे और इसे पॉच सरल के लररि ही लरगूर रखने कर रदेश दररि थर।
- तब से ही यह मरमलर वररिदों में है। हरलॉक 1995 में संसद ने 77वें संवधरन संशोधन पारति करके पदोन्नति में आरक्षण को जररी रखर।
- यह सुथति नरगरररर और अनुत बनरम भररत सरकरर मुकुदमे पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले के बरद बदल गई।
- एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के एम नरगरररर के फैसले में 2006 में पॉच जरों ने संशोधति संवधरनकि प्ररवधरन अनुच्छेद 16(4)(ए), 16(4)(बी) और 335 को तो सही ठहरररर थर लेकनि कोर्ट ने कहा थर कि एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले सरकरर को उनके पछिड़ेपन और अपरुतुत प्रतनिधितुि के ऑकड़े जुटरने होंगे।
- उल्लेखनीत है कि नुतररलर ने तरजर फैसलर उन तरचकिओं के अधरर पर सुनरर, जसिमें कहा गरर थर कि नरगरररर प्रकरण में संवधरन पीठ के 2006 के फैसले को फरि से वचिर के लररि सरत सदसुतुी संवधरन पीठ को सौंपर जर।
- दररसल, नरगरररर प्रकरण में संवधरन पीठ ने एससी-एसटी करुमचररथिं को नौकरथिं में पदोन्नति में आरक्षण कर लरभ दररि जरने के लररि शरुतें तरर की थीं।
- गौरतलब है कि नरगरररर मरमले में पॉच सदसुतुी संवधरन पीठ ने 2006 के अपने फैसले में कहा थर कि एससी-एसटी समुदरर के लोगों को नौकरथिं में पदोन्नति में आरक्षण दररि जरने से पहले ररजर सरकरर एससी-एसटी के पछिड़ेपन पर उनकी जनसंखुतर के ऑकड़े, सरकररी नौकरथिं में उनके अपरुतुत प्रतनिधितुि के बररे में तथुत और समग्र प्रररसनकि दकषतर पर जरनकररी मुहैतर कररने के लररि बरधुत हैं।
- केंद्र और वभिनिन ररजर सरकररों ने वभिनिन अधररों पर इस फैसले पर फरि से वचिर करने कर अनुरोध कररि थर। इसमें एक अधरर यह थर कि एससी-एसटी समुदरर के लोगों को पछिड़ा मरनर जरतर है और जरतुि को लेकर उनकी सुथति पर वचिर करते हुए उन्हें नौकरथिं में पदोन्नति में भी आरक्षण दररि जरनर चररिथि।
- केंद्र सरकरर ने कहा थर कि एम. नरगरररर मरमले में एससी-एसटी करुमचररथिं को पदोन्नति में आरक्षण कर लरभ दररि जरने हेतु गैर-जररूरी शरुतें लगरई गई थीं। इसलररि केंद्र ने इस पर फरि से वचिर करने के लररि इसे बड़ी पीठ के पसर भेजरने कर अनुरोध कररि थर।

नरिणत के प्रमुख बदि

- उच्चतम नुतररलर ने केंद्र सरकरर की यह अरुजी भी खररजि कर दी कि एससी/एसटी को आरक्षण दररि जरने में उनकी कुल आबरदी पर वचिर कररि जर।
- मुखुत नुतरररधीश दीपक मशिरर की अधुतकषतर वरली पॉच सदसुतुी संवधरन पीठ ने एकमत से यह फैसलर सुनरर। इस संवधरन पीठ के अनुत सदसुतुं में नुतररमूरुत कुररिनि जोसेफ, नुतररमूरुत रीहटिन नरीमन, नुतररमूरुत संजरर कशिन कौल और नुतररमूरुत इंदु मलुहोतरर शरमलि थे।
- इस मरमले में केंद्र सहति वभिनिन पकषों को सुनने के बरद पीठ ने 30 अगसुत को अपना फैसलर सुरकषति रख लररि थर।
- पीठ ने कहा कि एससी/एसटी करुमचररथिं को नौकरथिं में पदोन्नति में आरक्षण देने के लररि ररजर सरकररों को एससी/एसटी के पछिड़ेपन पर उनकी संखुतर बतरने वरलर ऑकड़र इकटुठर कररने की कोई जरूरत नहीं है।
- हरलॉकपीठ ने 2006 के अपने फैसले में तरर की गई उन दो शरुतों पर टपिणी नहीं की जो पदोन्नति में एससी-एसटी के प्रतनिधितुि की परुतुततर और प्रररसनकि दकषतर को नकरररतुमक तौर पर प्ररवरति नहीं कररने से जुड़े थे।
- अदरलत ने अपने नरिणत में न सरिफ 2006 में दररि गए अपने पुररने दशिर-नरिदेशों को खररजि कररि बलुक यह भी कहा कि नरगरररर नरिणत में दररि गए दशिर-नरिदेश 1992 के ऐतुिसकि इंदररि सरहनी नरिणत के खलरिफ जरते हैं।

आगे की ररह

- वस्तुतः आरक्षण हमेशा से एक विवादित विषय रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद के दशकों में आरक्षण सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। वडिम्बना यह है कि भारत में उदयमति का अभाव है।
- ऐसे में हर कोई सरकारी नौकरी की तरफ देखता है और अपनी सुविधानुसार आरक्षण की व्याख्या करता है।
- इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये आरक्षण की नतिांत आवश्यकता है, कति एक सच यह भी है कि आरक्षण के उद्देश्यों के बारे में अधिकांश लोग अनजान हैं।
- जहाँ तक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये क्रीमीलेयर की व्यवस्था का प्रश्न है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहले सभी आयामों के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है।
- मसलन अनुसूचित जाति/जनजाति के सामाजिक उत्थान का पैमाना आय से संबंधित आँकड़ा नहीं हो सकता है। यही कारण है कि नागराज मामले में दिये अपने ही निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में बदल दिया था और क्रीमीलेयर की व्यवस्था केवल ओबीसी तक ही सीमिति कर दी थी।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-deliver-verdict-on-quota-in-promotion>

